न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या 340/2024

रामस्वरूप पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी हबलीरावन तहसील व जिला हनुमानगढ

-प्रार्थी

बनाम्

नंदलाल पुत्र दुलीचंद जाति मेघवाल निवासी हबलीरावन तहसील व जिला हनुमानगढ

-अप्रार्थी

उपस्थित:-

1 श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल - अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी

-:निर्णय:-

दिनांक :- 05.02.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि अप्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में चक 1 एलजीडब्ल्यू खाता सं. 135/57 में दर्ज तादादी 6.325 हैक्टेयर में हिस्सा 1581/6325 यानि 1.581 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी का अप्रार्थी ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ घराघरू बंटवारा किया हुआ है। इसी बंटवारा अनुसार अप्रार्थी ने खाता सं. 135/57 के प.न. 62/279 कि.न. 19/.076, 23/.253, प.न. 62/280 कि.न. 1 ता 5 कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी ने कब्जाकाश्त किया हुआ था। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी द्वारा अपने घराघरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि चक 1 एल.जी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 135/57 के पत्थर नंबर 62/279 किला नंबर 19/0.076, 23/0.253, पत्थर नंबर 62/280 किला नंबर 1 ता 5 कुल 1.581 हैक्टेयर को वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक ठेका पर काश्त करने हेतु प्रार्थी को दी हुई है जिसका ठेकानामा अप्रार्थी द्वारा साई पेटे राशि लेते समय दिनांक 09.02.2024 को स्टाम्प पर तहरीर कर प्रार्थी के सुपुर्द किया था। दिनांक 13.04.2024 से 13.04.2026 तक भूमि प्रार्थी के कब्जा में सुपुर्द की थी व 2 वर्ष की बिलमुक्ता ठेका राशि 2,50,000/- रूपये में से साई पेटे 1,70,000/- रूपये प्राप्त कर कब्जा आराजी दिनांक 13.04.2024 को मय नलकूप में 1/2 हिस्सा अनुसार उपयोग व उपभोग करने की शर्त के साथ ठैकानामा दिनांक 09.02.2024 को निष्पादित करवाया था जो केवल मात्र साई पेटे राशि के संबंध में था। अन्य शर्ते ठेकानामा आराजी साई बाबत दिनांक 15.02.2024 को बरोबरू गवाहान अप्रार्थी द्वारा निष्पादित किया गया था जिसमें दिनांक 09.02.2024 को तहरीर [illegible] स्टाम्प संलग्न ठेकानामा किया गया था और स्टाम्प को इसी ठेकानामा का भाग समझा गया था। ठेकानामा की शर्तो अनुसार दिनांक 09.02.2024 को ही अप्रार्थी [illegible] रूपये प्राप्त कर लिये और दिनांक 10.05.2024 को शेष 80,000/- रूपये की राशि दिनांक 10.05.2024 को [illegible] कर ली। शरायत अनुसार नलकूप में दो वर्ष के लिये प्रार्थी [illegible] हिस्सा की शर्त तय की गई। अर्थात् 2 वर्ष तक प्रार्थी उक्त ठेका पर ली हुई भूमि में सिचाई हेतु नलकूप का उपयोग उपभोग कर सकेगा। ठेकानामा की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:52 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज ठेकानामा की शरायत अनुसार प्रार्थी ठेकानामा में दर्ज अप्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का 2 वर्ष तक ठेकेदार व खुद काश्त कहलाया जायेगा और इस 2 वर्ष की अवधि में अप्रार्थी का कोई हक व हिस्सा व भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही होगी। प्रार्थी ठेका पर ली हुई भूमि में स्वतंत्र रूप से 2 वर्ष तक काश्त कर सकेगा और फसल उठा सकेगा। दिनांक 13.04.2026 को भूमि खाली कर अप्रार्थी के सुपुर्द कर देगा। उक्त ठेकानामा की शरायत अनुसार ही प्रार्थी ने दिनांक 13.04.2024 को भूमि का कब्जा प्राप्त कर उसको काश्त हेतु तैयार किया और उसमें नरमा की फसल काश्त की। मौका पर प्रार्थी का नरमा की फसल अभी खड़ी है। नरमा की चुगाई चल रही है। प्रार्थी ने अपनी ठेका पर ली हुई भूमि में अच्छी मेहनत की और मेहनत के फलस्वरूप नरमा की अच्छी फसल हुई है जिसको देखकर अप्रार्थी बदयांत हो गया है और जबरन प्रार्थी के कब्जा में दखलअंदाजी कर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने के आशय से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति से संभव नहीं है इसलिए प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी चक 1 एल.जी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 135/57 के पत्थर नंबर 62/279 किला नंबर 19/0.076, 23/0.253, पत्थर नंबर 62/280 किला नंबर 1 ता 5 कुल 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि में दिनांक 13.04.2026 तक प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी भी तरह से दखलअंदाजी कारित करने, खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने व प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने से निषिद्ध रहे। यह कि पिछले सप्ताह प्रार्थी जब अपने ठेका पर प्राप्त उक्त कृषि भूमि में नरमा की चुगाई कर रहा था और चुगारे भी साथ में नरमा की चुगाई कर रहे थे तो अप्रार्थी कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर प्रार्थी की ठेका पर ली हुई कृषि भूमि में जबरन नरमा चुगाई में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा हो गया और प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने की धमकी दी। तब प्रार्थी ने अपने चुगारों के साथ मिलकर अप्रार्थी को रोका और पंचायत के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष पंचायत भी की और ठेकानामा की शरायतो का हवाला देते हुए दिनांक 13.04.2026 तक उक्त कृषि भूमि में किसी तरह से दखलअंदाजी करने से मना किया तो अप्रार्थी पंचायत के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष मौका पर ही प्रार्थी की बात को मानने से इन्कार हो गया, प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो 1/- रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि [illegible] वादपत्र चक 1 एल.जी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या [illegible] पत्थर नंबर 62/279 किला नंबर 19/0.076, 23/0.253, पत्थर नंबर 62/280 किला नंबर 1 ता 5 कुल 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि में दिनांक 13.04.2026 तक प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी भी तरह से दखलअंदाजी कारित करने, खडी फसल को नुकसान पहुंचाने व प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Lal
Date: 2025.04.15 10:13:52 IST
Reason: SelfAttested

विज्ञ अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किए कि मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य मात्र वाद पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही है। प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है जो काबिल खारिजी है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज रिकार्ड से सम्बन्धित तथ्य स्वीकार है। मुझ अप्रार्थी के नाम 1.581 हैक्टेयर आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परापरू बंटवारा के तथ्य प्रार्थी से सम्बन्धित नही है, ना ही प्रार्थी का कोई सरोकार है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र का ढांचा तैयार करने हेतु मिथ्या अंकित किये है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है । मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को कोई भूमि ठेके पर नही दी गई। मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से रूपये उधार लिये थे, जिसकी एवज में स्टाम्प पर लिखित की गई थी तथा दिलजमी के लिए प्रोनोट, कुछ खाली कागजो पर व अप्रार्थी के पीएनबी बैंक के खाली चैक पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी को धोखा में रखकर स्टाम्प पर रूपये उधार देने की बजाय तथाकथित ठेकानामा की लिखित करवा ली। तथाकथित ठेकानामा के आधार पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष झूठे व गलत तथ्य दर्ज करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी को धोखा में रखकर करवाई गई लिखित के सम्बन्ध में अप्रार्थी, प्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रहा है। माननीय न्यायालय को तथाकथित ठेकानामा के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। तथाकथित फर्जी व कूटरचित ठेकानामा के आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते। प्रश्नगत आराजी मुझ अप्रार्थी के हक हिस्से की आराजी है तथा मुझ अप्रार्थी के आधिपत्य व धारण में शांतिपूर्वक रूप से चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा झूठे व गलत आधारो पर माननीय न्यायलय के समक्ष मुझ अप्रार्थी के आधिपत्य व धारण की आराजी में दखलअन्दाजी करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध जब तक किसी प्रकार का घोषणा का अनुतोष न हो, स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। प्रश्नगत आराजी पर मुझ अप्रार्थी द्वारा पूर्व में नरमा की फसल काश्त की हुई थी व वर्तमान में गेहूं की फसल काश्त की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर नरमा की फसल खड़ी होने के तथ्य झूठे व गलत दर्ज किये है। तथाकथित कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को किसी प्रकार के हक अधिकार हासिल नही होते तथा ना ही प्रार्थी तथाकथित कूटरचित एंव अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। खातेदार काश्तकार होने के कारण अप्रार्थी अपने नाम दर्ज आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे नही है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है। कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 [illegible] झूठे व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी द्वारा [illegible] नरमा चुगाई करके वर्तमान में गेहूँ की फसल की हुई है। [illegible] द्वारा कुछ असामाजिक तत्वो को साथ लेकर प्रश्नगत कृषि भूमि में जबरन नरमा चुगा[illegible]में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा होने व प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने की धमकी देने तथा प्रार्थी द्वारा नरमा चुगाई करने के तथ्य प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का ढांचा तैयार करने की नियत से मिथ्या अंकित किये गये है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

यह कि बाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है।

–अतिरिक्त कथन–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

यह कि अपंजीकृत अमुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर माननीय राजस्व न्यायालय अन्तरिम/अन्तिम अनुतोष प्रदान करने हेतु सक्षम न्यायालय नही है, उक्त सिद्धान्त अनेक न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा भी इस बाबत क्रमांक प. 5 (6) राज-6/91/11 जयपुर दिनांक 05.04.2006 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसी आधार पर प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है।

यह कि अप्रार्थी प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार है। कानुनन अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार अन्तरित नही होते तथा ना कानुनन अपंजीकृत, अमुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष याचित किया जा सकता है।

यह कि तथाकथित कूटरचित एंव अपंजीकृत दस्तावेज दिनांक 09.02.2024 के आधार पर माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है तथा ना ही प्रार्थी को कोई वाद कारण हासिल है।

यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत आराजी बाबत पूर्व से ही प्रकरण सख्या 136/2022, अगवानी तनावी कालवा बनाम नन्दलाल जैरकार है जिसके स्थगन का नोट भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में लगा हुआ है तथा समान वादग्रस्त आराजी बाबत जो वर्तमान वाद पत्र/प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु है, के सम्बन्ध में पूर्व से ही प्रकरण जैरकार रहते हुए कानुनन नया वाद पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता इस कारण वर्तमान प्रकरण विधि द्वारा वर्जित है तथा काबिल खारिजी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते है:-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में सलंग्न ज[illegible] से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी जो अप्रार्थी नंदलाल पुत्र दुलीचंद के नाम हिस्सा 15[illegible]32 [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, प्रार्थी ने आराजी को अपंजीकृत/अमुद्रांकित ठेकानामा के आधार पर [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुतोष याचित किया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ठेकानामा के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया तथा अपंजिकृत/अमुद्रांकित दस्तावेज इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है। अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार काश्तकार है जिसे अपने नाम दर्ज आराजी का उपयोग व उपभोग करने की स्वतंत्रता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभिलिखित काश्तकार है। यदि न्यायालय द्वारा अस्थाई व्यादेश जारी की जाती है तो न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थी अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी वास्तविक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय के अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:52 IST
Reason: SelfAttested